भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2776** जिसका उत्तर

गुरूवार, **5 अगस्त**, 2021/14 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है

पोत उद्योग को सहायता

†2776. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी तटरेखा होने क बावजूद भी देश का पोत उद्योग तथा राष्ट्रीय बेड़ा अपने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में मर्चेन्ट शिप्स की फ्लैगिंग को बढ़ावा देन के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को राजसहायता देने तथा सरकार और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में इन कंपनियों की सहायता करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कदम से वैश्विक पोत में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी में वृद्धि करने के साथ-साथ भारतीय नाविकों के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी हां। भारतीय ध्वज के तहत 12.96 मिलियन टन के सकल टनभार के साथ कुल पोतों की संख्या 1488 हैं। विश्व के पोत परिवहन टनभार में भारत का स्थान 18वां है।

(ग): जी हां। योजना का विवरण नीचे दिया गया है:-

इस योजना को 14.07.2021 से लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस योजना को निम्नलिखित तरीके से लागू किया जाएगा:

1. दिनांक 01 फरवरी, 2021 के बाद भारत में फ्लैग किए गए पोत के लिए-

   क) जो भारत में फ्लैग करते समय 10 वर्ष से कम आयु का हो, एल1 विदेशी पोत परिवहन कंपनी द्वारा पेश की गई बोली के 15% की दर पर या आरओएफआर का प्रयोग करते हुए भारतीय ध्वज जलयान द्वारा पेश की गई बोली और एल1 विदेशी पोत परिवहन कंपनी द्वारा पेश की गई बोली, दोनों में से जो भी कम हो, के बीच के वास्तविक अंतर पर यह सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।

   ख) जो भारत में फ्लैग करते समय 10 से 20 वर्ष के बीच की आयु का हो, एल1 विदेशी पोत परिवहन कंपनी द्वारा पेश की गई न्यूनतम बोली के 10% की दर पर अथवा आरओएफआर का प्रयोग करते हुए भारतीय फ्लैग जलयान द्वारा पेश की गई बोली और एल1 विदेशी पोत परिवहन कंपनी द्वारा पेश की गई बोली, इनमें से जो भी कम हो, के वास्तविक अंतर पर सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।

   ग) उपर्युक्त 1(क) और 1(ख) में प्रदान की जाने वाली सब्सिडी सहायता की दर को प्रतिवर्ष 1% कम किया जाएगा, जब तक कि ऊपर उल्लिखित पोतों की दोनों श्रेणियों के लिए यह कम होकर क्रमश: 10% और 5% न हो जाए।

2. मौजूदा भारतीय ध्वज पोत के लिए जो पहले से ही फ्लैग किया गया हो-

   क) और जो 01 फरवरी, 2021 को 10 वर्ष से कम आयु का हो, उसे एल1 विदेशी पोत परिवहन कंपनी द्वारा पेश किए गए कोट की 10% की दर से या आरओएफआर का उपयोग करते हुए भारतीय ध्वज जलयान द्वारा पेश किए गए कोट और एल1 विदेशी पोत परिवहन कंपनी द्वारा पेश किए गए कोट के बीच वास्तविक अंतर, जो भी कम हो, पर यह सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।

   ख) और जो 01 फरवरी, 2021 को 10 से 20 वर्ष के बीच के आयु का हो, उसे एल1 विदेशी पोत परिवहन कंपनी द्वारा पेश किए गए कोट की 5% की दर से या

आरओएफआर का उपयोग करते हुए भारतीय ध्वज जलयान द्वारा पेश किए गए कोट और एल1 विदेशी पोत परिवहन कंपनी द्वारा पेश किए गए कोट के बीच वास्तविक अंतर, जो भी कम हो, पर यह सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।

3. किसी भारतीय ध्वज जलयान के एल1 बोलीकर्ता होने के मामले में इस सब्सिडी सहायता के प्रावधान उपलब्ध नहीं होंगे।

4. पात्र पोत परिवहन कंपनी को निविदाकर्ता एजेंसी (उपयोगकर्ता विभाग/सीपीएसई) द्वारा यह सब्सिडी राशि करार शर्तों के अनुसार चार्टर किराया राशि के साथ भुगतान की जाएगी और निविदाकर्ता एजेंसी (उपयोगकर्ता विभाग/सीपीएसई) को बाद में प्रतिपूर्ति की जाएगी। मुद्रा का समय मूल्य बनाए रखने और पोत परिवहन कंपनी को आवश्यक लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

5. यह सब्सिडी सहायता केवल उन पोतों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन के बाद कार्य हासिल किया हो।

6. योजना के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच एक वर्ष से दूसरे वर्ष में व्यय के लिए निधियों के आबंटन में लचीलापन।

7. इस योजना के तहत 20 वर्ष से अधिक आयु के पोत सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे।

8. इस योजना की अभिवर्धित सीमा को ध्यान में रखते हुए यह मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर व्यय विभाग से ऐसी अतिरिक्त निधियों के आबंटन की मांग करेगा।

9. 5 वर्ष बाद इस योजना की समीक्षा की जाएगी।

(घ) और (ङ): जी, हां। आशा है कि उक्त योजना, भारतीय ध्वज में टनभार को बढ़ाने के द्वारा रोजगार के अधिक अवसर तथा युवा भारतीय केडेट लड़कों और लड़कियों के लिए अधिक प्रशिक्षण स्लॉट सृजित करते हुए सभी भारतीय नाविकों को लाभान्वित करेगी।

*****